



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 05.09.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में हत्या की घटना कारित करने के आरोपी शकील, अब्बास, इलियास, शौकीन, मोहरर्म, सलीम, दीपक उर्फ नसीब, रणधीरा उर्फ रमजान व अमर उर्फ उमर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ आजीवन कारावास व 40,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों
1-शकील पुत्र अलीजान, 2-
अब्बास, 3-इलियास पुत्रगण
जाफर, 4-शौकीन पुत्र अब्बास,
5-मोहरर्म पुत्र दीनू उर्फ
दीनमौहम्मद, 6-सलीम पुत्र
मोहरर्म, 7-दीपक उर्फ नसीब
पुत्र रणधीरा, 8- रणधीरा उर्फ
रमजान पुत्र सलमा, व 9-अमर
उर्फ उमर पुत्र कमरुद्दीन द्वारा



श्री अशोक सैनी



है0का0 रवि

एडीजीसी जनपद बागपत कोर्ट पैरोकार थाना
रमाला

वर्ष-2012 में वादी के घर में घुसकर वादी व अन्य 03 परिजनों की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 171/2012 धारा 148/149/452/324/307/302 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज-04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों शकील, अब्बास, इलियास, शौकीन, मोहरर्म, सलीम, दीपक उर्फ नसीब, रणधीरा उर्फ रमजान व अमर उर्फ उमर को

दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

- 1-शकील पुत्र अलीजान निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
(आजीवन कारावास व 50,000 रुपये का अर्थदण्ड)
- 2-अब्बास निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
(आजीवन कारावास व 40,000 रुपये का अर्थदण्ड)
- 3-इलियास पुत्रगण जाफर निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
(आजीवन कारावास व 40,000 रुपये का अर्थदण्ड)
- 4-शौकीन पुत्र अब्बास निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
(आजीवन कारावास व 40,000 रुपये का अर्थदण्ड)
- 5-मोहर्म्म पुत्र दीनू उर्फ दीनमौहम्मद निवासी ग्राम हरकौली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर । (आजीवन कारावास व 40,000 रुपये का अर्थदण्ड)
- 6-सलीम पुत्र मोहर्म्म निवासी ग्राम कसेरवा थाना हरकौली जनपद मुजफ्फरनगर ।
(आजीवन कारावास व 40,000 रुपये का अर्थदण्ड)
- 7-दीपक उरफ नसीब पुत्र रणधीरा निवासी शास्त्री कॉलोनी थाना सिम्भालका पानीपत हरियाणा । (आजीवन कारावास व 40,000 रुपये का अर्थदण्ड)
- 8-रणधीरा उर्फ रमजान पुत्र सलमा निवासी शास्त्री कॉलोनी थाना सिम्भालका पानीपत हरियाणा । (आजीवन कारावास व 40,000 रुपये का अर्थदण्ड)
- 9-अमर उर्फ उमर पुत्र कमरुद्दीन निवासी ग्राम कसेरवा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर । (आजीवन कारावास व 40,000 रुपये का अर्थदण्ड)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक -05.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 541/24 धारा 452/366/342/376/323/506 /313 भादवि, 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 541/24 धारा 452/366/342/

376/323/506/313 भादवि, 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध

धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जावेद उर्फ घोलू पुत्र पप्पू निवासी मौ0 आजादनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौता
- 2-का0 1016 रोहित राठौर थाना बडौता
- 3-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौता



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौता

दिनांक 05-09-2024

ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना बडौता पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 581/24 धारा 137 बीएनएस से संबंधित अपहृत को सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना बडौता पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 581/24 धारा 137 बीएनएस से संबंधित अपहृत उम्र को सकुशल बरामद किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राकेश कुमार कुमार थाना बडौता ।
- 2-म0उ0नि0 शिवानी जादौन थाना बडौता ।
- 3-का0 712 विनय कुमार थाना बडौता ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 05.09.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 210/24 धारा 137(2)/70(2)/ 351(2) बीएनएस, 3/4 पोकसो एक्ट व 67ख आईटी एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 183/24 धारा 191(2)/115(2)/110 बीएनएस से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मनीष पुत्र अशोक निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-अनुज पुत्र सुनील निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-मोनू उर्फ अमरजीत पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-प्रियांशु पुत्र सुभाष निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-म0उ0नि0यूटी श्रीमती सीमा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 813 दोसेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना चांदीनगर

दिनांक 05.09.2024

थाना चांदीनगर बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 165/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.08.2024 को वादी हर्ष पुत्र सुशील निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.रोहित पुत्र सुनील व 2.गर्भित उर्फ गर्वित निवासीगण ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी तथा गाली-गलौच करते



हुए जान से मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना

चांदीनगर पर मु0अ0सं0 165/24 धारा 115(2)/352/ 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 165/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं ।

उक्त अभियोग में गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना चांदीनगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गर्भित उर्फ गर्वित पुत्र लाला उर्फ ब्रजपाल निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 161 दिनेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक -05.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 486/24 धारा 65(1)/61(2)/351(2) बीएनएस, 3/4(2) पोक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 486/24 धारा 65(1)/61(2)/351(2) बीएनएस, 3/4(2) पोक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।



उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उक्त अभियोग में दिनांक 19.07.2024 को थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्त हमीद पुत्र स्व0 नूर मौहम्मद निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साजिद पुत्र शरीफ निवासी पट्टी मादान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत
हाल पता काशीराम कॉलोनी मलकपुर रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार चौधरी थाना बडौत ।
- 2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत ।
- 3-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 05.09.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 240/24 धारा 305 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से वादी का चोरी किया मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.08.2024 को वादी शमीम पुत्र अकबर निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त साजिद पुत्र कल्लू निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा उसका मोबाइल फोन व उसके पड़ोसियों के घर से 04 मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 240/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 240/24 धारा 305 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से वादी का चोरी गया मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साजिद पुत्र कल्लू निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 01 मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-उ0नि0 विजेन्द्र सिंह थाना रमाला।
- 2-उ0नि0यूटी श्री राकेश कुमार थाना रमाला।
- 3-का 26 कुलदीप थाना रमाला।
- 4-का0 566 इन्द्राज थाना रमाला।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 05.09.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 236/24 धारा 105 बीएनएस में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.09.2024 को वादी जरीफ पुत्र रमजानी निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके भाई व पड़ोसी का बच्चा खेलते-खेलते कुंवरपाल की छत पर चल गये तथा वहां बिजली के तारों से टच हो गये, जिससे कारण दोनों की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 236/24 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 236/24 धारा 105 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कंवरपाल पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री शिवदत्त थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 546 बिपिन सिरौही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 05.09.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

शौकीन पुत्र अली शेर निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-का0 160 अंकुल सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 05.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-ओमप्रकाश पुत्र सुरेश निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-आबिद पुत्र युनुस निवासी ग्राम आसिफपुर खड़खड़ी थाना बडौत जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

4-का0 194 तरुण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 05.09.2024

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक पुत्र महेन्द्रपाल निवासी ग्राम गौना थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुजीत कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-का0 884 सर्जन सिंह चाहर थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 05.08.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवीण कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 317 मोहिन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।